## न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- उमेदी लाल मीना आर.ए.एस.

**अपील सं. 28 / 2023**

राजेन्द्र पुत्र श्री लालचंद जाति बिश्नोई निवासी चक 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट

बनाम

साहबराम पुत्र श्री लालचंद जाति बिश्नोई निवासी चक 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.07.2009 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू-अभिलेख टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जिसे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजस्व एवं सहायक कलैक्टर के समान कृषि भूमि के विभाजन सहमति के आधार पर किये जाने की अधिकारिता प्रदत्त की हुई है, के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2009 जो कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य हुई सहमति के आधार पर जोत विभाजन सम्बंधी पारित किया गया, में त्रुटिवश चक 6 केएसपी तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर 173 / 309 मुरबा नम्बर 57 का किला नम्बर 24 में .253 हैक्टेयर के स्थान पर .241 हैक्टेयर की डिक्री पारित की गई है, इस सीमा तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है व जरिये अपील अपीलार्थी को किला नम्बर 24 की .253 हैक्टेयर भूमि को विभाजन में दिये जाने की डिक्री पारित किये जाने के सम्बंध में।

उपस्थित:- 1. श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री रामकुमार सहारण आभाषक रेस्पोडेन्ट।

### –:निर्णयः–

दिनांकः – 16.08.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी दोनों सगे भाई हैं जिनके पिता श्री लालचंद के नाम से चक 6 केएसपी में 13.156 हैक्टेयर पैतृक कृषि भूमि दर्ज कागजात माल थी । पिता श्री लालचंद ने उक्त भूमि का अपने तीनों पुत्रों क्रमशः अपीलार्थी, प्रत्यर्थी एवं अन्य पुत्र विजयपाल के नाम एक समान बंटवारा कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टिब्बी से जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2009 विभाजन की डिक्री करवा दी। इससे पूर्व पक्षकार अपील एवं अन्य भाई विजयपाल को घरेलू तौर पर उपरोक्त वर्णित कुल 13.156 हैक्टेयर भूमि पर बंटवारा कर विभाजित कृषि भूमि का कब्जा प्रत्येक को संभला दिया था इसी कब्जा के अनुसार अपीलार्थी के विभाजन मे चक 6 केएसपी तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर 176 / 307 का किला नम्बर 25 / .253, पत्थर नम्बर 176 / 308 किला नम्बर 1 ता 5, 9 / .209, 10, पत्थर नम्बर 173 / 309 किला नम्बर 16/.165, 17/.025, 23, 24 /.253, 25 [illegible] का किला नम्बर 4 / .241, 5 / .253 कुल 3.423 हैक्टेयर कृषि भूमि दी ग[illegible]वारा में प्रत्यर्थी साहबराम को 3.522 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि दी गई [illegible] कृष्ण पुत्र लालचंद को 3.435 हैक्टेयर कृषि भूमि [illegible] कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि व भूमि की अवस्थिति व उपजाउ क्षमता को ध्यान में रखकर किया गया था इसी [illegible] पक्षकार अपील व उनके दो अन्य भाई पूर्व से काबिज च[illegible]ए है। कालान्तर में अपी[illegible] उसके सभी भाईयों ने घरेलू बंटवारा से प्राप्त कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के आशय से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक सामुहिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व इसके साथ एक अनुबंध पत्र खाता विभाजन भी प्रस्तुत किया गया जो भी दिनांक 15.07.2009 को निष्पादित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:29 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 21.07.2009 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू-अभिलेख टिब्बी जिला हनुमानगढ़ जिसे धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजस्व एवं सहायक कलेक्टर के समान कृषि भूमि के विभाजन सहमति के आधार पर किये जाने की अधिकारिता प्रदत्त की हुई है, के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2009 जो कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य हुई सहमति के आधार पर जोत विभाजन सम्बन्धी पारित किया गया, में त्रुटिवश चक 6 केएसपी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 173 / 309 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 24 में 253 हैक्टेयर के स्थान पर 241 हैक्टेयर की डिक्री पारित की गई है, इस सीमा तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे व अपीलार्थी को किला नम्बर 24 की 253 हैक्टेयर भूमि को विभाजन में दिये जाने की डिक्री पारित की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी से रिकार्ड तलबी हेतु इस न्यायालय के पत्रांक 280 दिनांक 21.05.2024 द्वारा लिखा गया।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने अपने पत्रांक रीडर/2024 दिनांक 19 जुलाई 2024 से अवगत कराया गया कि जो पत्रावली इस न्यायालय द्वारा चाही जा रही है, उक्त पत्रावली को कार्यालय में तलाशा गया, उक्त पत्रावली को तहसील की समस्त शाखाओं में तलाशने के पश्चात उक्त पत्रावली कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। जिस संबंध में पत्रावली की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसका एलआर नं0 2246935/2024 पत्रावली के संलग्न है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि-

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी से रिकार्ड तलबी हेतु इस न्यायालय के पत्रांक 280 दिनांक 21.05.2024 द्वारा मूल रिकार्ड भिजवाने हेतु लिखा गया।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने अपने पत्रांक रीडर/2024 दिनांक 19 जुलाई 2024 से अवगत कराया गया कि जो पत्रावली इस न्यायालय द्वारा चाही जा रही है, उक्त पत्रावली को कार्यालय में तलाशा गया, उक्त पत्रावली को तहसील की समस्त शाखाओं में तलाशने के पश्चात उक्त पत्रावली कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसका एलआर नं0 2246935/2024 दर्ज करवायी गयी है जो पत्रावली संलग्न है।
4. पत्रावली में मूल रिकार्ड नहीं आने के कारण उक्त इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के आदेश दिनांक 21.07.2009 द्वारा कृषि भूमि का विनिमय/विभाजन के संबंध में निर्णय किया जाना संभव नहीं है। पक्षकारान पत्रावली के पुनः संधारण के संबंध में तहत न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में विहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करे एवं तत्पश्चात यदि चाहे तो सक्षम स्तर पर अपील दायर कर सकते है।

अपील अपीलांट रिकार्ड के अभाव में खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (मुद्रा)

(उमेदी लाल मीणा)
अपर जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:29 IST
Reason: SelfAttested